

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

क्रमांक:- एफ.3 (ख) (एम-456/1986)/अलेसे-11/5584-95दिनांक :- 10.04.15

कार्यालय आदेश

श्री मुकेश कुमार गुप्ता, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II, (मेरिट नं 456/1986, लिंक नं. 5359) कार्यालय उपमुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (परिवार कल्याण), अलवर तत्कालीन कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, अलवर के विरुद्ध भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो विशेष अनुसंधान इकाई, जयपुर में अपराध संख्या 151/2011, 152/2011, 153/2011 एवं 154/2011 में दर्ज प्रकरणों में धारा 13(1) (सी)(डी) 13(2) पीसीएक्ट 1988 एवं 409,420,467,468,471 व 120बी आईपीसी के अन्तर्गत विभागीय क्रमांक 5564 से 5567 तक दिनांक 10.04.2015 के द्वारा अभियोजन स्वीकृति जारी किये जाने के फलस्वरूप तुरन्त प्रभाव से निलम्बित कर मुख्यालय कोषालय, दौसा किया जाता है। श्री गुप्ता को निलम्बन काल में नियमानुसार निर्वाह भत्ता देय होगा।


(भास्कर शर्मा)
निदेशक

क्रमांक:- एफ.3 (ख) (एम-456/1986)/अलेसे-11/5584-95दिनांक :- 10.04.15

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।
2. आयुक्त, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
3. पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, रेन्ज अलवर, मुख्यालय, जयपुर।
4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, विशेष अनुसंधान इकाई, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अलवर।
5. निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ (परिवार कल्याण), राजस्थान जयपुर।
6. उपमुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (परिवार कल्याण), अलवर।
7. सहायक निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, अलवर।
8. कोषाधिकारी, दौसा।
9. श्री मुकेश कुमार गुप्ता, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II, उपमुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (परिवार कल्याण), अलवर।
10. वरिष्ठ निजी सहायक, निदेशक महोदय।
11. कम्प्यूटर अनुभाग को वेबसाईट पर अपलोड करने/पी.आई.एस. इन्द्राज हेतु।
12. निजी पत्रावली/पदस्थापन सीट/रक्षित पत्रावली।
13. गोपनीय शाखा/जॉच शाखा।


अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-II)